

औद्योगिक दुर्घटनाएँ

प्रलिमिस के लिये:

[व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहति, 2020](#), श्रम बयूरो, [अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन](#), ILO कन्वेंशन।

मेन्स के लिये:

भारत में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य- वशिलेषण, चुनौतियाँ और उठाए जा सकने वाले कदम, भारत में श्रमिकों के संबंध में रूपरेखा, वर्तमान श्रम सुधारों से संबंधित अस्पष्ट क्षेत्र

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में महाराष्ट्र के ठाणे में एक रासायनिक इकाई में वसिफोट होने से 11 लोगों की मौत हो गई। भारत और विश्व के अन्य हिस्सों में ऐसी औद्योगिक दुर्घटनाएँ औद्योगिक प्रतापिठानों के लिये एक बड़ी समस्या बन गई हैं।

औद्योगिक एवं रासायनिक आपदा:


- **औद्योगिक आपदा:** औद्योगिक आपदा कसी औद्योगिक स्थल पर होने वाली एक महत्वपूर्ण दुर्घटना है जिसके परिणामस्वरूप व्यापक क्षति, चोट या मृत्यु होती है।
 - ऐसी आपदाएँ वर्भिन्न कारणों से उत्पन्न हो सकती हैं, जिनमें रासायनिक, यांत्रिक, नागरिक या विद्युत प्रक्रयाएँ, साथ ही दुर्घटनाएँ, लापरवाही या अक्षमता शामिल हैं।
- **प्रकार:** रासायनिक आपदाएँ, वसिफोट, खनन आपदाएँ, गरिती हुई वस्तुएँ, रेडियोलॉजिकिल घटनाएँ।
- **रासायनिक आपदा:** इसे एक विशेष रसायन के रसायन (द्रव/गैस अवस्था में) के रूप में परभाषित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप समाज के कामकाज में अचानक और गंभीर व्यवधान उत्पन्न होता है, जिससे व्यापक मानवीय, भौतिक या पर्यावरणीय क्षति होती है, जो प्रभावित समाज की अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करके सामना करने की क्षमता से परे होती है।
- **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पराधिकरण (National Disaster Management Authority- NDMA)** के अनुसार, पछिले दशक में देश में 130 से अधिक बड़ी रासायनिक दुर्घटनाओं हुई हैं, जिनमें कुल 250 से अधिक लोगों की जान गई है।

भारत में औद्योगिक दुर्घटनाओं में योगदान देने वाले प्रमुख कारक क्या हैं?

- **अपर्याप्त विनियमन और निगरानी:** 15 अधनियमों और 19 नियमों सहित अनावश्यक विनियमों में रासायनिक उद्योग के लिये एकीकृत दृष्टिकोण का अभाव है। इस विखिन्डन के कारण अधिकार क्षेत्र में अतिव्यापन और खामियाँ उत्पन्न होती हैं, जिससे सुरक्षा उपायों की निगरानी एवं प्रवर्तन कमज़ोर होता है।
- **व्यापक रासायनिक जोखिम डेटाबेस का अभाव:** औद्योगिक रासायनों और उनके जोखिमों पर एक केंद्रीय डेटाबेस की कमी ज्ञान का अभाव उत्पन्न करती है, जो खतरे के मूल्यांकन और सुरक्षा प्रोटोकॉल विकास में बाधा डालती है।
- **अपर्याप्त श्रमिक प्रशिक्षण और जागरूकता:** बैंगलर का संचालन अक्सर अप्रशिक्षित, संविदि श्रमिकों के ज़मिमे होता है, जिनके पास उचित सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रशिक्षण का अभाव होता है, जैसा की। IIT कानपुर द्वारा बताया गया है।
 - इससे दुर्घटनाओं के दौरान भरम की स्थितिति उत्पन्न होती है और जोखिम का खतरा बढ़ जाता है, विशेषकर खतरनाक रसायनों के मामले में।
- **श्रमिक सुरक्षा में अपर्याप्त नियन्त्रण:** कुछ उद्योगों द्वारा लागत में कटौती करते समय अक्सर सुरक्षा उपकरणों और बुनियादी ढाँचे, जैसे उचित वेटलिशन एवं अग्नि सुरक्षा उपायों की उपेक्षा की जाती है।
 - IIT कानपुर द्वारा, वर्ष 2023 में किया गया अध्ययन औद्योगिक दुर्घटनाओं को कम करने के लिये श्रमिक सुरक्षा में अधिक नियन्त्रण की

आवश्यकता पर बल देता है।

- **रखरखाव का अभाव:** बैंजिमिडिजोल से जुड़ा **वशिखापततनम गैस रसिए** रखरखाव और संचालन के बारे में चिताएँ उत्पन्न करता है।
○ **नेवेली की घटना** में एक बॉयलर को संचालित करने के दौरान अप्रत्याशित रूप से वसिफोट हो गया, जबकि वह चालू नहीं था तथा उसमें मुख्य रूप से भट्टी और भाप उत्पादन (Furnace and Steam Production) शामिल था।



भारत में अतीत में घटति प्रमुख औद्योगिक आपदाएँ:

भारत में औद्योगिक दुर्घटनाओं का एक लंबा इतिहास रहा है, हाल ही में 130 से अधिक गंभीर रासायनिक दुर्घटनाएँ घटति हुई हैं।

- **भोपाल गैस त्रासदी (1984):** यह अब तक की सबसे भीषण औद्योगिक आपदा है, जिसमें एक कीटनाशक संयंतर से गैस रसिए के कारण 3,700 से अधिक लोग मारे गए और अनेकों लोग घायल हो गए।
- **चासनाला खनन आपदा (वर्ष 1975):** एक कोयला खदान में मीथेन गैस के कारण हुए वसिफोट और उसके बाद खदान ढहने से लगभग 700 लोगों की मृत्यु हो गई।
- **जयपुर तेल डिपो आग (वर्ष 2009):** एक तेल भंडारण केंद्र में आग लगने से 12 लोगों की मृत्यु हो गई और पाँच लाख से ज्यादा लोगों को बचाया गया। इस दौरान उचित आपदा प्रबंधन योजना का अभाव एक बड़ा मुद्दा था।
- **कोरबा चमिनी कांड (वर्ष 2009):** कमज़ोर नरिमाण प्रवृत्तियों के कारण नरिमाणाधीन चमिनी ढह गई, जिसमें 45 शरमकियों की मृत्यु हो गई।
- **मायापुरी रेडियोलॉजिकिल घटना (वर्ष 2010):** शरमकियों ने अनजाने में स्क्रैपयार्ड में एक रेडियोधर्मी अनुसंधान वकिरिणक को नष्ट कर दिया, जिससे वे और अन्य लोग वकिरिण के संपर्क में आ गए।
- **बॉम्बे डॉक्स वसिफोट (वर्ष 1944):** वसिफोटकों से लदे एक मालवाहक जहाज में वसिफोट हो गया, जब वह मुंबई बंदरगाह पर मौजूद था, जिसमें लगभग 800 लोग मारे गए और व्यापक आरथिक क्षति हुई।

ऐसी औद्योगिक एवं रासायनिक दुर्घटनाओं के परणिम क्या हैं?

- **जीवन की हानिएँ घायल होना:** औद्योगिक दुर्घटनाओं के परणिमस्वरूप कई लोगों की मृत्यु होती है और कई को काफी गंभीर चोटें आती हैं। उदाहरण: ठाणे में एक रासायनिक कारखाने में वसिफोट में 11 लोगों की जान चली गई।
- **प्रयावरणीय क्षति:** रासायनिक रसिए, वसिफोट और अनुचित अपशिष्ट निपिटान से गंभीर प्रयावरणीय क्षति (वायु, जल व मृदा प्रदूषण) हो सकती है।
 - **उदाहरण:** वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी एक भयावह घटना है, जिसमें यूनियन कारबाइड संयंतर से मथियाइल आइसोसाइनेट (Isocyanate) गैस के रसिए के परणिमस्वरूप हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई और अनगनित लोगों को दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएँ हुईं।
- **आरथिक व्यवधान:** सुवधियों को हुई हानिकी क्षतिपूरति, पीड़ितों के परवारों को मुआवजा देने और घायल शरमकियों के उपचार की लागत काफी अधिक

हो सकती है।

- अमेरिकी प्रयावरण संरक्षण एजेंसी (Environmental Protection Agency- EPA) के एक अध्ययन में पाया गया कि रासायनिक दुर्घटनाओं से आसपास के क्षेत्रों में संपत्ति के मूल्य में 5-7% की कमी आ सकती है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर और अधिक प्रभाव पड़ सकता है।
- मनोवैज्ञानिक आघात: औद्योगिक दुर्घटनाओं से संबंधित आघात का जीवति बचे लोगों, गवाहों और पीड़ितों के परिवारों पर दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ सकता है।
 - चिंता, अवसाद और अभिधातजनय तनाव विकार (Post-traumatic Stress Disorder- PTSD) इसके सामान्य परिणाम हैं।
- जनता के वशिवास को कष्टति: बार-बार होने वाली औद्योगिक दुर्घटनाएँ नियमित नकारात्मक उदयोगों में जनता के वशिवास को समाप्त कर सकती हैं। इससे जनता में भय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और नई औद्योगिक परियोजनाओं का वरीध हो सकता है।

औद्योगिक आपदा रोकथाम पर ILO की अनुशंसाएँ:

- जोखमिपूरण पदारथों की पहचान:
 - अंतर्राष्ट्रीय जोखमिपूरण रसायनों और ज्वलनशील गैसों की सूची बनाना तथा उनकी मात्र की एक विशिष्ट सीमा निर्धारित करना।
 - निरिधारित मात्रा से अधिक जोखमिपूरण सामग्री का संचालन करने वाली कसी भी सुविधा को "प्रमुख जोखमिपूरण कार्यस्थल" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- प्रमुख जोखमिपूरण कार्यस्थलों की सूची:
 - प्रत्येक राज्य को अपने अधिकार क्षेत्र में प्रमुख जोखमिपूरण कार्यस्थलों की एक व्यापक सूची बनानी चाहिये, जिसमें सुविधा का प्रकार, प्रयुक्त रसायन और भंडारित मात्रा जैसे विवरण शामिल हों।
- केंद्रीकृत डेटा प्रबंधन:
 - जोखमिपूरण सामग्रियों की सूची और प्रमुख जोखमिपूरण कार्यस्थलों की सूची को एक केंद्रीकृत कंप्यूटरीकृत डाटाबेस में संग्रहीत किया जाना चाहिये।
 - यह नियमित नकारात्मक आपातकालीन उत्तरदाताओं और जनता द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी तक सुविधापूरण पहुँच की अनुमति देगा।

रासायनिक/औद्योगिक आपदाओं के विद्युद्ध कानूनी सुरक्षा उपाय क्या हैं?

- अंतर्राष्ट्रीय:
 - [आपदा जोखमि न्यूनीकरण हेतु सेंडाई फ्रेमवरक 2015-2030](#)
 - औद्योगिक दुर्घटना के सीमापारीय प्रभावों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (1992):
 - यह औद्योगिक दुर्घटनाओं की रोकथाम और उनसे नपिटने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
 - पारदृष्टियों जानकारी साझा करती है, आपात स्थितियों की योजना बनाती है और आपदाओं के दौरान एक-दूसरे की सहायता करती है। इससे व्यापक दुर्घटनाओं का जोखमि कम हो जाता है।
 - [UNEP का दुर्घटना निवारण और तैयारी के लिये लचीला ढाँचा \(CAPP\) \(2006\)](#): यह देशों, विशेष रूप से विकासशील देशों, को रासायनिक दुर्घटनाओं को रोकने और उनके प्रबंधन के लिये कार्यक्रम बनाने में सहायता करने के लिये एक लचीला दृष्टिकोण अपनाता है।
 - यह देश की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन कार्यक्रमों को बनाने के संबंध में मार्गदर्शन भी प्रदान करता है।
 - रासायनिक दुर्घटनाओं पर [OECD कार्यक्रम \(वर्ष 1990\)](#): यह रासायनिक सुरक्षा में सूचना साझाकरण और सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से दुर्घटनाओं को रोकने पर केंद्रित है।
- भारत:
 - [भोपाल गैस रसिव \(दावों का प्रसंस्करण\) अधिनियम, 1985](#)
 - [प्रयावरण \(संरक्षण\) अधिनियम, 1986](#)
 - [सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991 \(Public Liability Insurance Act- PLIA\)](#):
 - यह अधिनियम जोखमिपूरण पदारथों का प्रयोग करने वाले उदयोगों के लिये बीमा अन्वित रूप से संबंधित दुर्घटनाओं से प्रभावित लोगों को वित्तीय राहत प्रदान करता है। यह बीमा इन पदारथों से कुछ औद्योगिक गतिविधियों पर लगाए गए प्रतबंधों के संबंध में अपीलों की सुनवाई करता है तथा एक निषिक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।
 - [राष्ट्रीय प्रयावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम, 1997](#):
 - इस अधिनियम ने राष्ट्रीय प्रयावरण अपीलीय प्राधिकरण (National Environment Appellate Authority- NEAA) की स्थापना की, जो [प्रयावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 \(Environment Protection Act- EPA\)](#) के तहत कुछ औद्योगिक गतिविधियों पर लगाए गए प्रतबंधों के संबंध में अपीलों की सुनवाई करता है तथा एक निषिक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।
 - [खतरनाक अपशिष्ट \(प्रबंधन, हैंडलिंग और ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट\) नियम, 1989](#):
 - इसमें उदयोगों से महत्वपूर्ण दुर्घटना जोखमियों की पहचान करने, निवारक उपायों को लागू करने और कसी भी संभावित खतरे की सूचना उपयुक्त प्राधिकारियों को देने की अपेक्षा की जाती है।
 - [अतिरिक्त उपाय](#):

- **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority- NDMA)** ने रासायनिक आपदा प्रबंधन पर वशिष्ठ दशिं-नरिदेश जारी किये हैं। ये अधिदेश वभिन्न प्राधिकरणों को वसितृत आपदा प्रबंधन योजनाएँ तैयार करने के लिये दशिं-नरिदेश प्रदान करते हैं।
- कई अन्य कानून और वनियम, जैसे **कारखाना अधनियम, 1948** तथा कीटनाशक अधनियम, 1968 भी औद्योगिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में भूमिका निभाते हैं।

आगे की राह

- एक मजबूत वनियामक ढाँचा: ILO सुरक्षा वनियमों को लागू करने के लिये वभिन्न सरकारी एजेंसियों की स्पष्ट भूमिकाओं के साथ एक व्यापक राष्ट्रीय ढाँचे की सफारशि करता है।
- **वशिष्ठ बैंक (2018)** ने रासायनिक दुर्घटनाओं को कम करने के लिये कड़े रासायनिक सुरक्षा नियम लागू करना आवश्यक है।
- नगिरानी और प्रवरतन को मजबूत करना: IIM अहमदाबाद (2020) के अनुसार, भारत में औद्योगिक दुर्घटनाओं को कम करने के लिये कड़ी नगिरानी और प्रवरतन की आवश्यकता है, साथ ही कड़े दंड निर्धारित करने चाहयि तथा योग्य करमियों द्वारा इसकी नरितर नगिरानी भी की जानी चाहयि।
- रासायनिक जोखमि डेटाबेस का नरिमाण: 1984 की भोपाल गैस त्रासदी ने भारत में औद्योगिक रसायनों से जुड़े जोखमियों का दस्तावेजीकरण करने के लिये एक केंद्रीकृत डेटाबेस की आवश्यकता पर बल दिया है।
 - आरथकि सहयोग और वकिस संगठन (Organisation for Economic Co-operation and Development -OECD) रसायनों के वर्गीकरण तथा लेबलिंग की वैश्वकि सामंजस्यपूरण पर्णाली (Global Harmonized System- GHS) को बढ़ावा देता है, जो इन रसायनों को वर्गीकृत करने के लिये एकमानकीकृत तरीका प्रदान करता है, जिससे जोखमि का बेहतर तरीके से आकलन करने में सहायता मिलती है।
- शर्मकि प्रश्निष्ठ में नविश: भारतीय **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् (National Safety Council of India- NSCI)** द्वारा 2017 में किये गए एक अध्ययन में पाया गया कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में शर्मकियों की अनभजिता औद्योगिक दुर्घटनाओं से बचाव न कर पाने का प्रमुख कारण है।
 - NSCI सभी स्टाफ सतरों के लिये अभ्यास सहति व्यापक प्रश्निष्ठ कार्यक्रमों की सफारशि करता है।
- सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना: **संयुक्त राष्ट्र प्रयावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Assembly- UNEP)** उदयोगों को प्रयावरण की दृष्टि से सवस्थ प्रौद्योगिकियों (Environmentally Sound Technologies- EST) को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करता है।
 - EST से हानिकारक सामग्रियों के उपयोग को न्यूनतम किया जा सकता है, अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार किया जा सकता है तथा दुर्घटनाओं के संभावति जोखमि को कम किया जा सकता है।
- सुरक्षा उपायों के उन्नयन हेतु प्रोत्साहन और सहायता: सुरक्षा सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिये बुनियादी ढाँचे के उन्नयन और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु कर छूट या सबसंडी जैसी वित्तीय सहायता की पेशकश की जा सकती है।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहति, 2020:

- नियोक्ता और करमचारी करत्तव्य: यह सुरक्षा के संबंध में नियोक्ता और करमचारी दोनों के लिये ज़ामिमेदारियों को परभिाषति करती है।
- कषेत्र-वशिष्ट सुरक्षा मानक: वभिन्न उदयोगों के लिये सुरक्षा मानक स्थापति करती है।
- करमचारी कल्याण: यह करमचारियों के स्वास्थ्य, कार्य स्थितियों, कार्य धंटों, छुट्टियों आदिपर ध्यान केंद्रित करती है।
- संविदा शर्मकि अधिकार: संविदा शर्मकियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करती है तथा उनकी रक्षा करती है।
- लैंगिक समानता: यह संहति सभी प्रकार के कार्यों के लिये सभी प्रतिष्ठानों में महलियों को नियोजिति करने की अनुमतिदेकर लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है।

निष्कर्ष:

भारत में औद्योगिक दुर्घटनाएँ देश के औद्योगिक प्रदिश्य में वनियामक और ज़जान संबंधी अंतराल को दूर करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकति करती है। भारत, सरकार तथा उदयोग हतिधारकों दोनों को शामिल करते हुए एक समग्र एवं सक्रिय दृष्टिकोण अपनाकर, एक सुरक्षति व अधिकि टकिऊ औद्योगिक वकिस की दिशा में कार्य कर सकता है।

दृष्टिमुख्य प्रश्निष्ठ प्रश्न:

प्रश्न. बार-बार होने वाली औद्योगिक दुर्घटनाएँ गंभीर वनियामक कमियों और अप्रयाप्त सुरक्षा उपायों को उजागर करती हैं। भारत ज़जान की कमी को कैसे कम कर सकता है और भविष्य में होने वाली त्रासदियों को कैसे नियंत्रित कर सकता है?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वित्त वर्ष के प्रश्न

?/?/?/?/?/?/?:

प्रश्न. भारत में क्यों कुछ परमाणु रेफिक्टर "आई.ए.ई.ए सुरक्षा उपायों" के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते? (2020)

- (a) कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य थोरियम का।
- (b) कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्तिका।
- (c) कुछ विदेशी उदयमों द्वारा संचालित होते हैं और अन्य घरेलू उदयमों द्वारा।
- (d) कुछ सरकारी स्वामतिव वाले होते हैं और अन्य नजीबी स्वामतिव वाले।

उत्तर: (b)

?/?/?/?/?:

प्रश्न. ऊर्जा की बढ़ती हुई जरूरतों के परिपक्ष्य में क्या भारत को अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना जारी रखना चाहिए? बढ़ती ऊर्जा से संबंधित तथ्यों एवं भयों की विचाना कीजिये। (2018)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/industrial-accidents>

